

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

आप.प्रकरण क्रमांक—858 / 13

संस्थित दिनांक 23.12.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र गढ़ी
जिला बालाघाट (म0प्र0)अभियोजन

// विरुद्ध //

1.राजेन्द्र प्रसाद पिता विष्णुप्रसाद, उम्र—46 वर्ष,
निवासी ग्राम सिझोरा थाना गढ़ी जिला बालाघाट।

.....अभियुक्त

// निर्णय //

(दिनांक 18.06.2018 को घोषित किया गया)

01— उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 30.04.2013 से दिनांक 28.07.2013 तक लगातार अभियोक्त्री का घर ग्राम नुनकाटोला सिझोरा थाना क्षेत्रांतर्गत गढ़ी में अभियोक्त्री जो एक स्त्री है, से शारीरिक संपर्क और अवांछनीय कार्य लैंगिक संबंध बनाने के संबंध में करने के लिए उसे बर्फी और पेड़ा फेंकने और अभियोक्त्री को एकटक देखकर उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद भी पीछा करने और संपर्क करने का प्रयास करने, इस प्रकार धारा 354(क)(ग)(घ) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि अभियोक्त्री ग्राम नुनकाटोला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ होकर अपने सास—ससुर के साथ ग्राम नुनकाटोला में रहती है। अभियोक्त्री के पति एवं बच्चे बिरसा में रहते हैं। दिनांक 30.04.2013, 15.05.2013, 19.06.2013, 30.06.2013 तथा दिनांक 28.07.2013 को अभियोक्त्री के घर के अंदर दो ब्लाउज, अश्लील तस्वीर, बर्फी, पेड़ा, कान के झुमके, बिन्दी, नारियल का टुकड़ा एवं चूड़ियाँ इत्यादि सामग्री आरोपी राजेन्द्र झारिया फेंकता था। अभियोक्त्री के पति वन विभाग बिरसा में पदस्थ होने के कारण वहाँ रहते थे। अभियोक्त्री सास—ससुर के साथ घर में अकेले रहती थी। अभियोक्त्री के अकेलेपन का फायदा उठाकर

// 2 //

अभियोक्त्री के शौच जाने के समय व नहाते समय आरोपी अभियोक्त्री को देखते रहता था, जिसके कारण अभियोक्त्री को मानसिक रूप से पीड़ा होती थी। आरोपी के उक्त व्यवहार के कारण अभियोक्त्री ने थाना गढ़ी में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अपराध क्रमांक 43/13 धारा 354क(3)(ग)(घ) भा.द.वि. में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत/अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— आरोपी ने अपने अभिवाक तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है। आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:—

1. क्या आरोपी ने अभियोक्त्री का घर ग्राम नुनकाटोला सिजोरा थाना क्षेत्रांतर्गत गढ़ी में अभियोक्त्री जो एक स्त्री है, से शारीरिक संपर्क और अवांछनीय कार्य लैंगिक संबंध बनाने के संबंध में करने के लिए उसे बर्फी और पेड़ा फेंका और अभियोक्त्री को एकटक देखकर उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद भी पीछा किया और संपर्क करने का प्रयास किया ?

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:—

06— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना दिनांक 30.04.2013 की है। आरोपी ने उसके घर की खिड़की से अश्लील तस्वीरें फेंकी थी। दिनांक 15.06.2013 को उसके घर में किसी ने पेड़ा, बरफी, लड्डु फेंका था। दिनांक 19.06.2013 को किसी ने उसके घर के अंदर फल्लीदाना, मक्का दाना, नारियल, कान का झुमका एवं सिंदूर फेंका था। दिनांक 30.06.2013 को आरोपी राजेन्द्र ने उसके घर के किचन रूम में लगी

हुई खिड़की से अश्लील तस्वीर फेंका था। उसने आरोपी को उक्त तस्वीर फेंकते हुए देखा था। दिनांक 28.07.2013 को आरोपी ने दो ब्लाउज के कपड़े उसकी खिड़की से घर के अंदर फेंका था। जब वह शौच के लिए जाती थी, तो आरोपी उसका पीछा करता था। जब वह स्नान करती थी तो आरोपी उसे तांक-झांक कर देखता था, जो उसे अच्छी नहीं लगती थी। उक्त बातें उसने अपने पति जयसिंह को बताई थी, तब उसने घटना की लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में की थी। पुलिस ने उसके लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था। पुलिस ने उससे दो ब्लाउज के टुकड़े, अश्लील फोटो, पाकेट डायरी, दो अखबारी टुकड़े जिस पर गर्भनिरोधक गोली का विज्ञापन बना हुआ था, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था।

07— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि आरोपी का उसके घर पहले से आना-जाना था। दिनांक 30.04.2013 को अंधेरे के समय अश्लील फोटो फेंके थे। उस समय अंधेरे के कारण उसने चेहरा नहीं पहचाना था। दिनांक 15.05.2013 को उसने आरोपी को लड्डू, पेड़ा, बरफी फेंकते हुए नहीं देखा था। दिनांक 19.06.2013 को उसने आरोपी को फल्लीदाना, मक्का दाना, नारियल, कान के झुमके और सिंदूर फेंकते हुए नहीं देखा था। दिनांक 30.06.2013 को उसके कमरे में खिड़की से अश्लील तस्वीर फेंकी गई थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, किन्तु स्वतः बताया है कि उसने टार्च मारकर देखा था। उसने आरोपी को पहचान ली थी। आरोपी राजेन्द्र झारिया ही था। इससे इंकार किया है कि आरोपी को भागते समय उसे पीछे का भाग दिख रहा था। स्वतः बताया है कि चेहरा भी देख लिया था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में आये तथ्य से यह प्रकट है कि आरोपी द्वारा ही अभियोक्त्री के घर में अश्लील तस्वीरें फेंकी गई थी। अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि शौच के लिए वह बाहर खुले में जाती है, किन्तु इससे इंकार किया है कि जहाँ वह शौच के लिए जाती है उसके पड़ोसी भी वहीं जाते हैं। इससे भी इंकार किया है कि उसके बाथरूम से 50-60 मीटर की दूरी पर स्थित सड़क

पर और लोग भी खड़े रहते हैं। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी से पुरानी रंजिश के कारण आरोपी के खिलाफ झूठी गवाही दे रही हूँ। इस प्रकार अभियोक्त्री ने अपने द्वारा कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य का समर्थन किया है। उसके पुलिस कथन एवं न्यायालयीन कथन तथा पुलिस रिपोर्ट में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है तथा अभियोक्त्री ने आरोपी को सामान फेंकते देखना भी बताया है। आरोपी को शौच करने के लिए जाते समय पीछा करने एवं नहाने के समय झांक कर देखने की बात अभियोक्त्री ने बताई है वह भी प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं हुआ है।

08— आशीष राजपूत अ.सा.05 ने बताया है कि दिनांक 30.07.2013 को अभियोक्त्री थाना गढ़ी में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था कि आरोपी राजेन्द्र ग्राम नुनकाटोला में उसके घर में ताक-झाक करता है, जब वह शौच के लिए जाती है तो उसका पीछा करता है। उसके घर में अश्लील सामग्री और अन्य वस्तुएं फेंकता है। तब उसने अभियोक्त्री के लिखित आवेदन के आधार पर थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक 43/13 धारा 354 क, ग, घ भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पंजीबद्ध किया था।

09— जयसिंह अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। अभियोक्त्री उसकी पत्नि है। उसकी पत्नि ग्राम नुनकाटोला में उसके माता-पिता के साथ रहती है। वह बिरसा में वन रक्षक के पद पर पदस्थ है। जब वह बीच में घर गया था, तब उसकी पत्नि ने उसे बताया था कि उसके घर के अंदर अश्लील फोटो, नारियल, पेड़ा, बरफी, मक्का दाना एवं ब्लाउज किसी ने फेंका था। उसे उसकी पत्नि ने बताया कि दिनांक 28.07.2013 को आरोपी राजेन्द्र ने ब्लाउज, चूड़ी, सिंदूर, डायरी और चित्र फेंका था। पुलिस ने उसके सामने ब्लाउज, पाकेट डायरी, अश्लील चित्र, अखबारी टुकड़ा एवं गर्भनिरोधक विज्ञापन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था। उसकी पत्नि ने उसे यह भी बताया कि जब वह शौच के लिए जाती है तो आरोपी राजेन्द्र उसका पीछा करता है और जब वह स्नान करती है तो आरोपी सड़क से झांक कर देखता है। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने यह बताया है कि घटना के बारे में उसके

माता-पिता ने भी उसे बताया था तथा यह भी बताया है कि पूर्व में सामग्री फेंके जाने पर किसी का शरारत समझकर एवं लोक-लाज के भय से रिपोर्ट नहीं किये थे।

09— ललीता अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी एवं अभियोक्त्री दोनों को जानती है। घटना के समय वह अभियोक्त्री के साथ घर में रहती थी। अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसके घर में ब्लाउज, चूड़ी, नारियल, पेपर का टुकड़ा, फल्लीदाना, चॉकलेट और अश्लील तस्वीरें फेंका था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह भी बताया है कि उसने आरोपी राजेन्द्र को सामान फेंकते हुए देखा था। झामसिंह के पीछा करने पर आरोपी भाग गया था। आरोपी राजेन्द्र अभियोक्त्री के नहाते समय और शौच जाते समय ताक-झाक करता था। आरोपी उसके नहाते समय भी ताक-झाक कर रहा था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी को घर में सामान फेंकते हुए नहीं देखा। एक बार उसने आरोपी को सामान फेंकते हुए देखा था। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसने अभियोक्त्री के साथ स्वयं भी पीछा किया था। इससे भी इंकार किया है कि वह आरोपी के विरुद्ध झूठा कथन कर रही है। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना का समर्थन किया है।

10— झामसिंह अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी राजेन्द्र को जानता है। घटना पिछले वर्ष बारिश के समय ग्राम नुनकाटोला में अभियोक्त्री के घर की है। आरोपी राजेन्द्र उसकी बुआ के घर गंदी-गंदी चिट्ठी लिखकर फेंकता था। अभियोक्त्री ने उसे कहा कि कौन फेंकता है पता करो, तब वह रसोई कमरा के खिड़की के पास सोया था। उसने देखा कि आरोपी ने कागज में लिखकर चिट्ठी फेंका था। जब उसने पीछे वाले दरवाजे से दौड़ा तो आरोपी अपने घर में घुस गया। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर बताया है कि दिनांक 28.01.2013 को 5:30 बजे रसोई की खिड़की से कुछ फेंकने का प्रयास किया, तब उसने पीछा किया तो आरोपी अपने घर घुस गया। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी घर के अंदर चूड़ी, बिंदी फेंक रहा था, तब उसका हाथ दिखाई दिया, जब वह बाहर निकलकर देखा तो आरोपी भाग रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि खिड़की से उसे

किसी का हाथ दिखाई दिया तो आरोपी झारिया भाग रहा था। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी को भागते हुए देखना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि अभियोक्त्री के बताये अनुसार बयान दिया है। स्वतः बताया है कि उसने जो देखा वही बयान दिया है।

11— आशीष राजपूत अ.सा.05 ने बताया है कि थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 43/13 धारा 354क, ग, घ भा.द.वि. की विवेचना के दौरान दिनांक 31.07.2013 को उसने घटनास्थल पर जाकर अभियोक्त्री के बताये अनुसार नक्शा मौका प्र.पी.03 तैयार किया था। अभियोक्त्री के पेश करने पर ब्लाउज के टुकड़े पाकेट डायरी, स्त्री-पुरुष का आलिंगन करते फोटो, अखबार का टुकड़ा, गर्भनिरोधक गोली के विज्ञापन वाला जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था। विवेचना के दौरान उसने अभियोक्त्री, जयसिंह, ललीता धुर्वे, झामसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी राजेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अश्लील तस्वीरें प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने मोहल्ले व पड़ोस वालों का बयान नहीं लिया था। स्वतः बताया है कि अभियोक्त्री ने लोक-लाज के कारण आस-पड़ोस के लोगों को घटना नहीं बताया, इसलिये अन्य लोगों का बयान नहीं लिया गया तथा नक्शे के अनुसार अभियोक्त्री के घर के पीछे बाड़ी है, वहाँ अगर कोई व्यक्ति आये तो बाहर सड़क से कोई बाड़ी के व्यक्ति को नहीं देख सकता, इसलिये सड़क पर गुजरते लोग या आस-पास के लोगों को साक्षी न बनाये जाने से अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साक्षी ने इससे भी इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है, किन्तु विवेचना अधिकारी के आरोपी से कोई रंजिश रही हो ऐसा साक्ष्य नहीं है, इसलिये यह सुझाव भी स्वीकार योग्य नहीं है कि विवेचना अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ झूठा प्रकरण तैयार किया हो।

12— इस प्रकार अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी उसके घर में अश्लील सामग्री, सिंदूर, अश्लील तस्वीर आदि फेंकता था। प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री ने यह बताया है कि उसने टार्च मारकर आरोपी को अश्लील सामग्री

फेकते हुए देखा था। अभियोक्त्री ने शौच के लिए जाते समय आरोपी द्वारा पीछा करना तथा स्नान के समय झाक कर देखने के बारे में भी बताया है। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं हुआ है। अभियोक्त्री के कथन में रंजिश स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिये बचाव पक्ष द्वारा आरोपी को रंजिशवश झूठा फंसाये जाने का सुझाव स्वीकार योग्य नहीं है। घटना का समर्थन जयसिंह अ.सा.02, ललीता अ.सा.03 एवं झामसिंह अ.सा.04 ने भी किया है। जहाँ अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाया जाये वहाँ उसके लिए समर्थन की भी अपेक्षा नहीं होता है। फलतः अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम.पी. बनाम भोजपाल, 2005 (5) एम.पी.एच.टी., 421 म.प्र. अवलोकनीय है।

13— उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का घर ग्राम नुनकाटोला सिजोरा थाना क्षेत्रांतर्गत गढ़ी में अभियोक्त्री जो एक स्त्री है, से शारीरिक संपर्क और अवांछनीय कार्य लैंगिक संबंध बनाने के संबंध में करने के लिए उसे बर्फी और पेड़ा फेंका और अभियोक्त्री को एकटक देखकर उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद भी पीछा किया और संपर्क करने का प्रयास कारित किया। फलतः आरोपी को धारा—354क, 354ग, 354घ भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

पुनःश्च,

14— दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान

अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है आरोपी अपने परिवार का काम करने वालो एकमात्र सदस्य है। उसके जेल चले जाने से उसके परिवार के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आरोपी के दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2013 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। फलतः आपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

क्र.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
1.	राजेन्द्र प्रसाद पिता विष्णुप्रसाद, उम्र-46 वर्ष,	354(क) भा.द.वि.	01 वर्ष सश्रम कारावास	200 / -रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास
2	राजेन्द्र प्रसाद पिता विष्णुप्रसाद, उम्र-46 वर्ष,	354(ग) भा.द.वि.	01 वर्ष सश्रम कारावास	200 / -रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास
3	राजेन्द्र प्रसाद पिता विष्णुप्रसाद, उम्र-46 वर्ष,	354(घ) भा.द.वि.	01 वर्ष सश्रम कारावास	200 / -रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास

15— आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगतान हेतु जेल भेजा जावे।

16— कारावास की सभी मूल सजाएँ साथ-साथ भुगताई जावे। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में भुगताई जाने वाली सजा एक के बाद एक भुगताई जावे।

17— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

// 9 //

18— निर्णयानुसार आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि 600/- रुपये (अंकन में छः सौ रुपये) अभियोक्त्री को अपील अवधि पश्चात् अपील न किये जाने की दशा में प्राप्त करने की अधिकारी होंगे तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ब्लाउज पीस दो नग, पाकेट डायरी, अखबारी विज्ञापन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही /—
मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही /—
मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु
निय / विधिक उपयोग